



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42638 वर्ष 2025

महेश कुमार उर्फ गुड्डू

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	रयूफ अली
विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रयूफ अली तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत अर्जी, धारा 483बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत, आवेदक महेश कुमार उर्फ गुड्डू की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि उसे, पुलिस थाना कोतवाली खलीलाबाद, जिला संत कबीर नगर में पंजीकृत, मुकदमा अपराध संख्या 1010/2025 (जिसमें उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(b)(i), 2(b)(xi) और 3(1) के तहत आरोप हैं) में, विचारण की लंबित अवधि के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न 'गैंग-चार्ट' में तीन आपराधिक मामले दर्शाए गए हैं, और उन सभी मामलों में आवेदक जमानत पर है।

आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, सरगना अथवा आयोजक नहीं है; साथ ही, उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में न तो कोई दुष्प्रेरण किया है और न ही कोई सहायता प्रदान की है। उपर्युक्त

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामले के अतिरिक्त, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा न्यायिक प्रक्रिया से पलायन करने अथवा गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 01.11.2025 से ही जेल में निरुद्ध है, यह वचन देता है कि यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह अपनी इस स्वतंत्रता का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों के होने के कारण, मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की ज़मानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने आवेदक के विद्वानअधिवक्ता द्वारा दिखाए गए मामलों के अलावा आवेदक के खिलाफ कोई अन्य मामला नहीं बताया है।

तथ्यों की समग्रता, मामले की प्रकृति और रिकॉर्ड से सामने आए सबूतों पर विचार करने के बाद,

और साथ ही अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे ज़मानत के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ। अतः, वर्तमान ज़मानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

आवेदक को उपरोक्त केस क्राइम नंबर में ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय ज़मानतदार पेश करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे-

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रोका जा सके, या सबूतों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तारीखों पर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्वयं उपस्थित रहेगा: (i) मामले की शुरुआत (e, (ii) आरोप तय करना और (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराना।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह सबूत पेश करने के लिए तय की गई तारीखों पर, जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष तय की गई प्रत्येक तारीख पर, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, उसे ज़मानत रद्द करने का आधार माना जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस ज़मानत याचिका के निपटारे के उद्देश्य तक ही सीमित है, और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर व्यक्त की गई राय के रूप में नहीं समझा जाएगा। विचारण न्यायालय, इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

14 जनवरी, 2026

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।